

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.179)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2013/डी- 1029

दिनांक: 24/7/13

### जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 12.07.2013 का कार्यवाही विवरण


क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1	179.1	कार्यकारी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 22.05.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 22.05.2013 के बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किसी की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यकारी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 22.05.2013 कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2	179.2	कार्यकारी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 22.05.2013 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 173वीं बैठक दिनांक 22.05.2013 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।	
3	179.3	स्व. श्री झूथालाल कुमावत (सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी) के चिकित्सा व्यय के भुगतान की सक्षम स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात स्व. श्री झूथालाल कुमावत (सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी) को श्री महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर के इलाज में व्यय हुई राशि रुपये 35,359.00 में से नियमानुसार देय योग्य राशि रुपये 23,865.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
4	179.4	अनुपम विहार योजना के भूखण्ड संख्या सी-332 की नजराना राशि 388 दिवस विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण बाबत।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. सी-332 की नजराना राशि दिनांक 27.12.2012 को जमा करा दी गई है परन्तु नजराना राशि निर्धारित समयावधि से 388 दिवस विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-11
5.	179.5	अनुपम विहार योजना के भूखण्ड संख्या बी-343 की नजराना राशि 668 दिवस विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण बाबत।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. बी-343 की नजराना राशि दिनांक 03.05.2013 को जमा करा दी गई है परन्तु नजराना राशि निर्धारित समयावधि से 668 दिवस विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों	उपायुक्त जोन-11



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			का ध्यान रखा जावे।	
6.	179.6	जयपुर विकास प्राधिकरण में लेखा संवर्ग में लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी के पदों को जविप्रा केंद्र के कर्मियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने कि स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा प्राधिकरण में लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखाधिकारी के दो पद जविप्रा केंद्र के कर्मियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
7.	179.7	Post-facto approval of tender for the work "Providing & Laying Mastic Asphalt work in JDA (ARC)".	प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखित कार्य की निविदा की न्यूनतम दरों की वैधता की समाप्ति अवधि 20.05.2013 होने के कारण कार्यकारी समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में आयुक्त, जविप्रा से स्वीकृति प्राप्त कर स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। प्रकरण में विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा उक्त कार्य (दर संविदा) मैसर्स गावड कन्सट्रक्शन कम्पनी को 52.51 प्रतिशत (अधिक) की दर पर रूपए 4,57,41,409.00 की कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि इस कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से अधिक का कार्य नहीं कराया जावे।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
<b>अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)</b>				
8.	179.8	प्राधिकरण में वायर मैन/कारपेन्टर/फिटर/ के पदों पर कार्यरत कर्मचारीगण को वाहन क्षति-पुर्ति भत्ते कि राशि दिये जाने बाबत	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में कार्यरत वायरमेन ग्रेड प्रथम/द्वितीय, कारपेन्टर,फिटर के कर्मिको को इनकी ग्रेड-पे के अनुसार वाहन भत्ता दिये जाने की स्वीकृति हेतु जारी आदेश क्रमांक प.-5(2)जविप्रा/संस्था/83 दिनांक 27.06.2013 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
9.	179.9	Planning and design work for the development of parking project at Ramlila Ground,Jaipur	विस्तृत विचार विमर्श पश्चात मैसर्स प्रमोद जैन एण्ड एसोसिएट्स को दी गई कन्सलटेन्सी की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post facto approval) इस शर्त के साथ दी गई की फेज-1 के आईटम नं. 2 तथा फेज-2 के आईटम नं. 1ए को छोड़कर बाकी सभी कार्य 1.49% की दर पर दिये जावें तथा एक ही प्रवृति का कार्य (Repetitive) होने के कारण आईटम नं. 2 (फेज-1) तथा आईटम नं. 1ए (फेज-2) को 1.49% का 50% अर्थात 0.745% की दर पर दिये जावें।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
10.	179.10	जोन उत्तर (मैन्टीनेंस सैल) में सड़को का पेच रिपेयर कार्य (दर संविदा)	विचार विमर्श उपरान्त मैन्टीनेंस सैल-उत्तर मे पेच रिपेयर (वार्षिक दर संविदा) कार्य मैसर्स खुदा पटान को G-Schedule PWD BSR-2012 से 23.91 प्रतिशत अधिक दर के अनुसार रु. 3,47,28,593.00 के कार्य की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
11.	179.11	Establishment of material testing Laboratory at JDA campus and its operation on private	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में जारी स्वीकृतियों एवं बड़ी संख्या में चल रहे कार्यों पर आवश्यकतानुसार परीक्षण कराए जाने के कारण वर्ष 2011	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)

  
**एच.एच.**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

		partnership basis for the period of two years from Rs. 30.00 Lacs to Rs. 70 Lacs (133.33% increase).	में स्थापित गुणवत्ता परीक्षण लेबोरेट्री की राशि रूपए 30 लाख से बढ़कर रूपए 70 लाख करने का निर्णय लिया गया।	
12.	179.12	जयपुर विकास प्राधिकरण में रोड़ सेफ्टी एवं ट्रेफिक मैनेजमेंट हेतु ट्रांसपोर्ट सैल के गठन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत नगरीय विकास विभाग को भेजे गये प्रस्तावों की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में रोड़ सेफ्टी एवं ट्रेफिक मैनेजमेंट हेतु ट्रांसपोर्ट सैल के गठन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत नगरीय विकास विभाग को भेजे गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र क्रमांक प.14(14)जविप्रा/संस्था/13 दिनांक 10.04.2013 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
13.	179.13	Regarding Ex-post-facto approval for exemption for inviting tenders without e-tendering process under prequalification bidding procedure for the work "Construction of office building and parking at II nd & III rd floors on existing multilevel parking in JDA campus, JDA, Jaipur"	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम) ने अवगत कराया कि e-tendering की प्रक्रिया में pre-qualification के प्रावधान निर्धारित नहीं है। इस कारण निदेशक (वित्त) की राय अनुसार pre-qualification की स्वीकृति कार्यकारी समिति से लिए जाने के लिए प्रस्तुत एजेण्डा नोट का विचार-विमर्श पश्चात अनुमोदन किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
14.	179.14	तहसीलदार एवं अमीन/पटवारी के रिक्त पदों पर संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मियों को लिये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में पटवारी/अमीन/भूअभिलेख निरीक्षक/ गिरदावर के रिक्त पदों पर रूपये 15,000/- एवं तहसीलदार के रिक्त पद पर रूपये 25,000/- प्रतिमाह फिक्स मानदेय पर सेवानिवृत्त कर्मिकों (जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो) से सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित कर नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने से पूर्व इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

(बिष्णु चरण मल्लिक)  
सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 12.07.2013 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री अभय कुमार, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री अभय कुमार	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री बिष्णु चरण मल्लिक	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री डी.सी. जबड़ा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्रीमति लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री अनंत कुमार	उप निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7	श्री पंकज आर्य	अधिशायी अभियन्ता- (टी.ए.टू. जोन-1)	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री विनय शर्मा	अधिशायी अभियन्ता, (सी डी 4)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
<b>अन्य अधिकारी उपस्थित</b>				
9	श्री त्रिभुवनपति	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्रीमति नलिनी कठोटिया	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री अनिल अग्रवाल	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री वी. एस. सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्रीमति रिमता सरीन	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्रीमति ज्योति चौहान	उपायुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री टी.के. शर्मा	अधीषण अभियन्ता (प्रोजे.II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री मनोज सोनी	अधीषण अभियन्ता (प्रोजे.1)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री मोहित चौधरी	अधिशायी अभियन्ता-(प्रोजे.III)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री संजय नाथावत	अधिशायी अभियन्ता-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधिशायी अभियन्ता-(मुख्यालय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री अजय गर्ग	अधिशायी अभियन्ता- 2ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	अधिशायी अभियन्ता- उत्तर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(बिष्णु चरण मल्लिक)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.179)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2013/डी- 1029

दिनांक: 24/7/13

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन-1।	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(बिष्णु चरण मल्लिक)

**बिष्णु चरण मल्लिक**  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर